

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) उदयपुर

क्रमांक: प-9/1(बी)14(8)स्था/भू.अ./पसीभ/19/341

दिनांक: 14-1-19

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2015 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची मण्डल को प्राप्त हुई एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/भू.अ./परीक्षा/प-279/2017/388-420 दिनांक 10.01.19 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को उदयपुर जिला आवंटन किया है। उक्त आवंटित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अस्थाई तौर पर पटवारी के पद पर की जाती है। चयनित अभ्यर्थी दिनांक 15.01.19 से 18.01.19 तक जिला कलक्टर कार्यालय (भू अभिलेख अनुभाग कमरा नम्बर 251) में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यह नियुक्ति राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्डस) रूल्स, 1957 के नियम-4 एवं तत्पश्चात समय समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश परिपत्र लागू होंगे।

क्र.स.	रोल नम्बर	मेरिट नम्बर	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म दिनांक	TSP / NON TSP
1	9429	198078	Kajal Nagda	AMBA LAL NAGDA	10-AUG-1996	NTSP
2	9924	203479	Subodh Sharma	OM PRAKASH SHARMA	27-NOV-1990	NTSP
3	1891	144940	Hari Singh Chauhan	HEM NARAYAN CHAUHAN	29-JAN-1984	NTSP
4	1943	194468	Abhishek Acharya	GANESH SHANKAR ACHARYA	09-DEC-1982	NTSP
5	12069	196164	Anju Godara	RAVISHANKAR GODARA	09-SEP-1995	NTSP
6	23896	142445	Jaisingh Kapooria	PRABHU DAYAL KAPOORIA	05-AUG-1985	NTSP
7	9995	116722	Kailash Ram	CHENA RAM	09-DEC-1995	NTSP
8	10214	149277	Sikandar Kumar Nogia	DHOLU RAM NOGIA	05-JUL-1991	NTSP
9	10350	101172	Deva Ram	BHINYA RAM	05-JUN-1994	NTSP
10	14458	108784	Mukesh Kumar Meena	BABU LAL MEENA	02-APR-1992	NTSP
11	14653	203660	Khem Chand Meena	RAM KARAN MEENA	01-SEP-1995	NTSP
12	14852	177691	Bhagwan Singh Meena	JAGAN MEENA	23-MAY-1991	NTSP
13	189	305015	Chitresh Patel	ACHARAT LAL PATEL	01-Nov-1990	TSP
14	756	303098	Kuldeep Gandharv	PRAKASH CHANDRA GANDHARV	15-Dec-1997	TSP
15	4321	305331	Anjana Soni	PRAKASH SONI	01-Oct-1980	TSP

1. पटवारी के पद पर अंतिम रूप से चयनित इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9454/2017 देवेन्द्र सिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य तथा इस याचिका के साथ संलग्न अन्य याचिकाओं एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8454/2017 श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओमप्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15538/2017 मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11711/2017 मनीष विश्नोई बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8263/2017 रोहिताश बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7870/2017 भोमाराम बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13151/2017 पूनम कंवर बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8110/2017 शंकर लाल डूडी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18032/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 16106/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 17676/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18049/2017, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18326/2017, 10360/2017, 9735/2017, 10549/2017, 12009/2017, 11875/2017, 11874/2017, 11788/2017, 11878/2017, 11881/2017, 11877/2017, 11876/2017, 11879/2017, 8402/2017, 8413/2017, 8133/2017, 12552/2017, 12551/2017, 10690/2017, 11538/2017, 15109/2017 के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों पर संदत्त किया जाएगा एवं अन्य शर्तें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत संदत्त होगी।
3. पटवारियों की प्रशिक्षण प्रारम्भ होने पर प्रशिक्षण सत्र की अवधि 6 माह होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। सत्र सम्पूर्ण अवधि में विभागीय परीक्षा देने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।
4. प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व दो वर्ष की परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर नियमानुसार पटवारी पद की सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाएं नियमित नहीं की जायेगी।
5. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में परिक्षणार्थियों को इस आशय का अनुबन्ध पत्र(बॉन्ड) हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं अर्पण करनी होगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।

6. अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पश्चात दिनांक 21.01.2019 को अपनी उपस्थिति जिला कलक्टर कार्यालय(भू.अ.) उदयपुर मे देनी होगी।
7. नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरान्त यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हो तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

॥

(आनन्दी)

जिला कलक्टर (भू.अ.)
उदयपुर

0 \